

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक 15.3.16

पत्रांक 1092/

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 03/2015

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 हस्तकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 विषय शीर्ष 1401 किराया महसूल एवं कर तथा 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू० 3,54,000 (तीन लाख चौवन हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

- 2- राशि का विकलन मुख्यशीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 हस्तकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 विषय शीर्ष 1101 यात्रा व्यय, 1303 दूरभाष, 1304 विद्युत प्रभार, 1305 विधि प्रभार, 1306 वर्दी/पोशाक तथा 5201 मशीनें एवं उपस्कर मद में कुल रू० 3,54,000 (तीन लाख चौवन हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।
- 3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/मुजफ्फरपुर/गया, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना तथा प्रबंधक, पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा जिला कोषागार, गया/भागलपुर/औरंगाबाद/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/पटना से की जाएगी।
- 5- प्रस्ताव में सचिव (संसाधन), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 03/2015 के पृष्ठ 15/टि० पर दिनांक 08.03.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/3/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 1092 /

पटना, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि :- सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना एवं जिला कोषागार, गया/भागलपुर/औरंगाबाद/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/पटना के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~14/3/2016~~
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1092 /

पटना, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/आईटी0 मैनेजर, उद्योग विभाग/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/ मुजफ्फरपुर/गया/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना तथा प्रबंधक, पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~14/3/2016~~
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।